न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 5/2021 तारीख रजू 17.02.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार
2. रामस्वरूपी पत्नि रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29/9/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार, रामस्वरूपी पत्नि रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 195/46 रकबा 3.0 बीघा वाके ग्राम गण्डायता में आदेश दिनांक 24/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 195/46 रकबा 3.0 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 195/46 रकबा 3.0 बीघा पर भू.अ.निरीक्षक वृत बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं [illegible] कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा मौके पर आवंटन शर्तों की स्पष्ट [illegible] किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क [illegible] संवत 2074–77 [illegible] अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहि[illegible]ता है कि अप्रार्थीगण [illegible] आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 218–219 दिनांक 01/03/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार, रामस्वरूपी पत्नि रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार नियत पेशी दिनांक 30/03/2021 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा न हीं अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 30/03/2021 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण रामजीलाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार, रामस्वरूपी पत्नि रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी ख0 नम्बर 195/46 रकबा 3.0 बीघा वाके ग्राम गण्डायता आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 195/46 रकबा 3.0 बीघा वाके ग्राम गण्डायता पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गण्डायता के आराजी खसरा नम्बर 195/46 रकबा 3.0 बीघा वाके ग्राम गण्डायता को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested